जसवंत सिंह लांबा

बनाम

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आदि

सिविल अपील सं. 3323/2008

6 मई, 2008

(एस. बी. सिन्हा और मुकुंदकम शर्मा, जेजे.)

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 226-समयावधि के पश्चात् किसी तीसरे पक्षकार द्वारा दायर की गई। समीक्षा याचिका- ऐसी याचिका की धारणीयता- रिट याचिका के निर्णय के तहत याचिकाकर्ता की सेवओं का नियमन उनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति की दिनांक से करने की अनुमति प्रदान की गई-एक कर्मचारी, जो रिट याचिका में पक्षकार नहीं था, जिसके द्वारा देरी से समीक्षा याचिका दायर की गई-अभिनिर्धारित किया गया: संधार्य नहीं है -सम्बन्धित कर्मचारी को उच्च न्यायालय के आदेश और उसके परिणामस्वरूप जारी संशोधित वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में ज्ञान था- रिट याचिका का आदेश अंतिम हो गया क्योंकि उसके विरूद्व कोई अपील नहीं की गई-लोकस स्टेंडी- 'आवश्यक पक्षकार'।

प्रत्यर्थी नम्बर 4 व 5 ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसके तहत अपनी अस्थायी नियुक्ति की दिनांक 11.11.1982 से वरिष्ठता का दावा किया। रिट याचिका आदेश दिनांकित 23.11.1992 के तहत स्वीकार की गई तथा तद्नुसार संशोधित वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को अपीलार्थी से वरिष्ठ दिखाया गया, जो कि दिनांक 3.10.1984 को नियुक्त किया गया था। चूंकि, अपीलार्थी , प्रत्यर्थीयों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में पक्षकार नहीं था, तथा

उच्च न्यायालय के आदेश से उसकी वरिष्ठता प्रभावित हुई थी, इसलिए उसके द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई तथा उसके खारिज होने के उपरांत हस्तगत अपील दायर की।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, क्यूंकी वह इस बात पर विचार करने में विफल रहें है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के द्वारा दायर की गई याचिका के निर्णय के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी, जिसके कारण उसके द्वारा समीक्षा याचिका दायर नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्तानुसार उसके मुद्दे की सुनवाई की जानी चाहिए।

न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह थाः क्या मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अपीलार्थी को समीक्षा याचिका दायर करने की लोकस स्टेंडी प्राप्त है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया किः

1.1 प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को 1982 में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, उनकी सेवाओं को बाद में नियमित किया गया था। रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह था कि क्या प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय उनको तदर्थ आधार पर नियुक्त करने में सही था, जबकि उनका चयन नियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया गया था। वरिष्ठता सूची दिनांकित 18.4.1992 की वैधता का इसमें कोई सवाल नहीं था। अपीलार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था तथा इस प्रकार, वह आवश्यक पक्षकार नहीं था। [पैरा 8] [883-बी, सी]

1.2 यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था। जो वरिष्ठता सूची दिनांक 14.5.1993 को प्रकाशित की गई थी, जिसका ज्ञान अपीलार्थी को था, उसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 को क्रम संख्या 12, प्रत्यर्थी

संख्या 5 को क्रम संख्या 13 व अपीलार्थी को क्रम संख्या 17 पर दर्शाया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 की नियुक्ति की दिनांक 12.11.1982 व अपीलार्थी की नियुक्ति की दिनांक 03.10.1984 दर्शाई गई थी। अपीलार्थी व अन्य द्वारा दिनांक 24.05.1993 को एक अभ्यावेदन दायर किया गया था। उसमें केवल मात्र यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या ए.एम.आई.ई. की डिग्री को बी.ई. के डिग्री के समान माना जाना चाहिए। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.11.1992 की जानकारी अपीलार्थी के सहित समस्त को दी गई थी। यह भी विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति वेतनमान प्रदान किया गया था। इस प्रकार, केवल मात्र वरिष्ठता सूची को सन् 2004 में पुनः प्रकाशित किया जाना तथा तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन दायर किया जाना, स्वतः ही एक स्थापित स्थिति को अस्थिर करने का आधार नहीं हो सकता है। [पैरा 9-12] [884-बी, जी, एच, ए; 885 - सी]

1.3 अन्यथा भी, अपीलार्थी द्वारा पेश की गई समीक्षा याचिका पोषणीय नहीं थी। आदेश दिनांकित 23.11.1992 विश्वविद्यालय के विरूद्व अंतिम व बाध्यकारी हो गया था। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया गया था। उसके विरूद्व कोई अपील नहीं की गई। अपीलार्थी, जो कि स्वयं को प्रत्यर्थी संख्या 5 से वरिष्ठ होने का दावा कर रहा था, हालांकि वह रिट याचिका का पक्षकार नहीं था, वह उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील पेश कर सकता था, लेकिन लम्बे समय तक उसके द्वारा ऐसा नहीं करने का फैसला किया गया। अपीलार्थी को समीक्षा याचिका में यह दावा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती कि प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को वास्तव में सही तरीके से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह प्रत्यर्थीयों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में आवश्यक पक्षकार नहीं था। वरिष्ठता, जैसा कि सर्वविदित है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह महज एक नागरिक अधिकार है। उच्च

न्यायालय का निष्कर्ष सही था कि समीक्षा याचिका पोषनीय नहीं है। [पैरा 13-17] [885-D, E, F; 886-A-C] जोस धनपॉल बनाम एस. थॉमस और ओआरएस। (1996) 3 एससीसी 587, आर. सुलोचना देवी बनाम डी. एम. सुजाता और अन्य। (2005) 9 एस.सी.सी. 335-लागू नहीं होते है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 3323/2008,

माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के समीक्षा आवेदन सं. 82/2005 में सीडब्ल्यूपी नम्बर 9879/1990 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 19.7.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से - मनु मृदुल, प्रणव व्यास और सूर्यकांत।

प्रत्यर्थीयों की ओर से- जनार्दन दास, श्वेतकेतु मिश्रा, ऋषि मल्होत्रा व संजय जैन।

न्यायालय का निर्णय दिया गया, एस. बी. सिन्हा, जे.

1. स्वीकृति दी गई ।

2. यहां अपीलार्थी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.7.2005 के फैसले व आदेश से व्यथित है, जिसमें 23.11.1992 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय की समीक्षा की मांग अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर की गई थी कि प्रत्यर्थी संख्या4 और 5 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप उसकी वरिष्ठता समाप्त हो गई। प्रत्यर्थी संख्या4 और 5 को 11.11.1982 को या उसके आसपास तदर्थ आधार पर अनुभागीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 4 को 27.9.1984 को एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि अपीलार्थी को

5.10.1984 को नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 5 को आदेश दिनांकित 7.6.1985 के तहत अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 23.12.1987 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता उनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से दर्शाई गई थी। हालाँकि, उक्त प्रत्यर्थीयों ने तर्क दिया कि चूंकि उन्हें स्थायी रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हे गलत तरीके से तदर्थ आधार पर दिनांक 11.11.1982 से नियुक्त किया गया था।

उनका यह अभ्यावेदन कि वे 11.11.1982 से नियमित आधार पर नियुक्त होने के हकदार हैं, खारिज कर दिया गया। उन्होंने 2.6.1990 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई:

> "(ए) अपीलीय अनुबंध पी/9 को रद्द करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और प्रत्यर्थीयों के खिलाफ सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट कृपया जारी की जा सकती है।
>
> (बी) याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए तदर्थ सेवाओं का लाभ देने और उनकी तदर्थ सेवा की गणना के बाद उनकी वरिष्ठता को फिर से तय करने के लिए याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थीयों के पक्ष में परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जा सकती है।
>
> (सी) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और प्रत्यर्थीयों के खिलाफ परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जा सकती है, जिसमें प्रत्यर्थीयों को वेतन वृद्धि आदि देने के लिए उनकी तदर्थ सेवा पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं का वेतन तय करने और उनका बकाया 180 रुपये प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित उन्हे प्रदान करे।"

3. उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.11.1992 के तहत स्वीकार करते हुए, निर्देशित किया कि उक्त प्रत्यर्थीयों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित आधार पर प्रत्यर्थी की सेवा में माना जाएगा:

> "पूरे मामले पर विचार करने के बाद, प्रत्यर्थीयों के विद्वान वकील की दलील खारिज की जानी चाहिए। निर्विवादित रूप से शुरू से, याचिकाकर्ताओं को 11 नवंबर, 1982 से एक समिति द्वारा चुने जाने के बाद में नियुक्त किया गया था और उनके द्वारा बिना किसी विच्छेद के तब तक नियमित रूप कार्य किया जाता रहा है जब तक उन्हे नियमित आधार पर नियुक्त नहीं कर दिया गया। हालांकि याचिकाकर्ता नं 1 की सेवाएं 11 नवंबर, 1983 को नोटिस देकर समाप्त कर दी गई, फिर भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया तथा उसके द्वारा इस आशय की एक अण्डरटेकिंग देने के बाद, कि यदि विस्तार नहीं किया जाता है तो, वह किसी भी वेतन आदि का दावा नहीं करेगा, पर उसे पद पर बने रहने की अनुमित दी गई। बाद में, 2 दिसंबर, 1983 के आदेश द्वारा उसे छह महीने का विस्तार प्रदान किया गया। इसलिए, उनकी सेवा में नियमित नियुक्ति तक कोई भी विच्छेद नहीं है।"

4. कथित तौर पर, 18.4.1992 को एक वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 5 से वरिष्ठ होने के रूप में दिखाया गया था और क्रमांक 16 पर रखा गया था और प्रत्यर्थी संख्या 5 को उससे कनिष्ठ के रूप में दिखाया गया था और उसे क्रमांक 18 पर रखा गया था। हालाँकि, एक और वरिष्ठता सूची 20.5.2004 को प्रकाशित की गई थी जिसमें उन्हें अपीलार्थी से वरिष्ठ दिखाया गया था। अपीलार्थी ने अन्य बातों के अलावा, 29.5.2004 और 24.8.2004 को इसके खिलाफ

अभ्यावेदन दायर किया। उक्त अभ्यावेदन दिनांक 1.1.2005 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिये गये:

> "यह सूचित किया गया है कि माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल रिट पैटीशन नम्बर 9879/1990 दिनांकित 23.11.1992 को मद्देनजर रखते हुए, श्री एके अग्रवाल, जेई से ऊपर जूनियर इंजीनियर के रूप में वरिष्ठता तय करने के लिए आपके अभ्यावेदन पर विचार किया जाकर खारिज कर दिया गया है। उक्त निर्णय के आधार पर श्री ए.के. अग्रवाल को तदर्थ आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित आधार पर कार्यग्रहण करना माना गया है। इस प्रकार उपरोक्त विषय पर आपके सभी अभ्यावेदनों का भी निपटारा किया जाता है।"

इसके बाद जनवरी 2005 में समीक्षा आवेदन दायर किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी से पहले अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था और दिनांक 23.12.1987 और 18.4.1992 की वरिष्ठता सूची में भी उसे अपीलार्थी से वरिष्ठ दिखाया गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी को केवल प्रत्यर्थी संख्या 5 के खिलाफ शिकायत हो सकती है, यदि कोई हो, जिसे अस्थायी रूप से अपीलार्थी के पश्चात् नियुक्त किया गया था और उपर्युक्त सूची में कनिष्ठ भी दिखाया गया था।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनु मृदुल ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रहे है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के द्वारा दायर की गई याचिका के निर्णय के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी, जिसके कारण उसके द्वारा समीक्षा याचिका दायर नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्तानुसार उसके मुद्दे

की सुनवाई की जानी चाहिए।समीक्षा आवेदन दायर करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं होने के कारण, यह कानून में स्वीकार्य है कि अपीलार्थी आदेश, जिसके नागरिक परिणाम होते है, के ज्ञान में आते ही तुरन्त उसे दायर कर सकता है।

6. वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मल्होत्रा और प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री दास ने हमारे समक्ष विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को निर्णय एवं आदेश दिनांकित 23.11.1992 का ज्ञान था।

7. यहां विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.11.1992 की समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने का कोई अधिकार है।

8. प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 को 1982 में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, उनकी सेवाओं को बाद की तारीख में नियमित कर दिया गया था। उक्त रिट आवेदन में उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय का उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त करना सही था, हालाँकि उनका चयन नियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया गया था।

अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। दिनांक 18.4.1992 की वरिष्ठता सूची की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं था। इस प्रकार, अपीलार्थी एक आवश्यक पक्षकार नहीं था; उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को 11.11.1982 से उनकी नियमित नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूची को संशोधित किया जाना आवश्यक था। उक्त आदेश के क्रम में नई वरिष्ठता सूची तैयार की गई। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन केवल उच्च न्यायालय के आदेश का परिणाम था।

9. अन्यथा भी, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के आदेश का ज्ञान था।

दिनांक 13.5.1993 के एक आदेश द्वारा, मुख्य अभियंता सहित सभी संबंधित को सूचित करते हुए एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या5 को 11.11.1982 से नियमित आधार पर नियुक्त माना जाएगा। यह विश्वास करना मुश्किल है कि जिन विभागों में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग सहित केवल 18 अनुभागीय अधिकारी कार्यरत थे, वहां अपीलार्थी को उसके बारे में जानकारी न हो।

14.5.1993 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में, एनएस यादव, प्रत्यर्थी क्रमांक 4, को क्रमांक संख्या 12 पर दर्शाया गया था; एके अग्रवाल, प्रत्यर्थी संख्या 5, को क्रम संख्या 13 पर दिखाया गया था और अपीलार्थी को क्रम संख्या 17 पर दिखाया गया था। इसमें नियुक्ति की तारीख आदि स्पष्ट रूप से बताई गई थी, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 की नियुक्ति की दिनांक 12.11.1982 दर्शायी गयी है जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति की दिनांक 3.10.1984 दर्शायी गई है।

10. अपीलार्थी और अन्य ने 24.5.1993 को एक अभ्यावेदन दायर किया; जिसके पैराग्राफ 2 और 3 इस प्रकार हैं:

> "यह भी पता चला है कि पदोन्नति कोटा के तहत जूनियर इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची में विभिन्न हेरफेर कर बदलाव किया जा रहा है। चयन समिति पहले ही बैठक कर चुकी है और अपनी सिफारिशें सौंप चुकी है। इन सिफारिशों की आड़ में, प्रशासन श्री एनएस यादव, जो एएमआईई धारक हैं और कम से कम 11 जूनियर इंजीनियरों से कनिष्ठ हैं, को बिना बारी के समायोजित करने की कोशिश कर रहा है। उसकी पदोन्नति पर, इस आधार पर विचार किया जा रहा है कि एक

डिग्री धारक की आवश्यकता है। इस तरह की आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति विधिक प्रावधान का उल्लंघन करना है।

यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि डिजाइन उद्देश्य के लिए हरियाणा सरकार एएमआईई की डिग्री को डिग्री (बीई) धारक के समकक्ष नहीं मानती है, जैसा कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी के एक अन्य मामले में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता ही एकमात्र मापदंड है और सीधी भर्ती के लिए भी एएमआईई वाला व्यक्ति योग्य नहीं है। इसलिए मौजूदा नियमों को मद्देनजर रखते हुए श्री एनएस यादव की पदोन्नति किया जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा।"

11. विवाद का विषय यह था कि प्रत्यर्थी संख्या 4, जिसे क्रम संख्या 12 पर रखा गया था, को ग्यारह व्यक्तियों से कनिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नति वेतनमान के लिए क्यों योग्य माना गया। निस्संदेह, वरिष्ठता सूची की जानकारी उन्हें थी। उसमें केवल मात्र यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या उसकी ए.एम.आई.ई. की डिग्री को बी.ई. के डिग्री के समान माना जाना चाहिए। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.11.1992 की जानकारी अपीलार्थी के सहित समस्त को दी गई थीः

"जब प्रत्यर्थियों को प्रत्यर्थी संख्या-1 के आदेश दिनांकित 27.01.1996 के तहत पदोन्नति वेतनमान प्रदान किया गया था, तब प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को याचिकाकर्ता के उपर वरिष्ठता प्रदान किये जाने का तथ्य फिर से याचिकाकर्ता व अन्य अधिकारियों के संज्ञान में

लाया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांकित 27.01.1996 पत्रावली पर जरिये अनुलग्नक आर-5/13 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा संलग्न किया गया है।"

12. यह भी विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति वेतनमान दिया गया था।

इस प्रकार, केवल मात्र वरिष्ठता सूची को सन् 2004 में पुनः प्रकाशित किया जाना तथा तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन दायर किया जाना, स्वतः ही एक स्थापित स्थिति को अस्थिर करने का आधार नहीं हो सकता है।

13. अन्यथा भी, अपीलार्थी द्वारा पेश की गई समीक्षा याचिका पोषणीय नहीं थी। आदेश दिनांकित 23.11.1992 विश्वविद्यालय के विरूद्व अंतिम व बाध्यकारी हो गया था। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया गया था। उसके विरूद्व कोई अपील नहीं की गई। अपीलार्थी, जो कि स्वयं को प्रत्यर्थी संख्या 5 से वरिष्ठ होने का दावा कर रहा था, हालांकि वह रिट याचिका का पक्षकार नहीं था, वह उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील पेश कर सकता था, लेकिन लम्बे समय तक उसके द्वारा एेसा नहीं करने का फैसला किया गया।

14. अपीलार्थी को समीक्षा याचिका में यह दावा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती कि प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को वास्तव में सही तरीके से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह प्रत्यर्थीयों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में आवश्यक पक्षकार नहीं था।

15. श्री मृदुल ने इस न्यायालय के निर्णय जे. जोस धनपॉल बनाम एस. थॉमस और अन्य *[(1996) 3 एससीसी 587]* पर भरोसा किया है। हम यह समझने में असफल हैं कि उक्त निर्णय कैसे लागू होता है। उस मामले में, थॉमस को पक्षकार बनाए

बिना, उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। उस संदर्भ में, न्यायालय द्वारा यह राय दी गई कि वह एक आवश्यक पक्षकार था।

आर. सुलोचना देवी बनाम डीएम सुजाता एवं अन्य [(2005) 9 एससीसी 335], जिस पर फिर से भरोसा रखा गया है, उस मामले में आपसी वरिष्ठता पर सवाल नहीं था। प्रभावित कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वरिष्ठता सूची तैयार कर दी गई थी। वहां ऐसा कोई विवाद नहीं था कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी से पहले वरिष्ठ था तथा कॉलेज के प्रिंसिपल का पद संभालने का हकदार था। आरजेडी की समीक्षा करने की शक्ति प्रश्न में थी, यहां ऐसा प्रश्न ही नहीं उठा है।

16. प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 द्वारा दायर रिट याचिका में अपीलार्थी भी उचित पक्ष नहीं था। वरिष्ठता, जैसा कि सर्वविदित है, मौलिक अधिकार नहीं है। यह महज एक नागरिक अधिकार है।

17. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय, हमारी राय में, यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि समीक्षा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था। अतः अपील खारिज की जाती है। कॉस्ट से सम्बन्धित कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निधि बेनीवाल (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।